प्राविधिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा

(प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना)

विनियमावली–1992

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992

प्राविधिक शिक्षा विभाग
अनुभाग–3

अधिसूचना

30 सितम्बर, 1992 ई०

सं० 2900/ प्रा० शि०–3–271 (बी)–91—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1962) की धारा 22 और धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से इसके नीचे उल्लिखित विनियमों से सम्बन्धित विषय पर जारी किये गये नियमों और आदेशों को एतद्द्वारा रद्द करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये निम्नलिखित विनियमों को अनुमोदित और अधिसूचित करते हैं :–

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992।

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1—**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा, (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—**परिभाषायें**–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस विनियमावली में–

(क) "शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष में प्रथम जुलाई को प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष की तीस जून को समाप्त होने वाली अवधि से है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 से है;

(ग) "प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष" का तात्पर्य उस विभागाध्यक्ष से है जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सम्बद्ध संस्था हो;

(घ) "समिति" का तात्पर्य इस विनियमावली के प्रयोजनों के लिये परिषद् द्वारा गठित समिति से है;

(ङ) "संयोजक" का तात्पर्य बैठकों को संयोजित करने के लिये नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "संरक्षक" का तात्पर्य किसी अभ्यर्थी के प्रवेश के लिये किसी आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित संरक्षक से है;

(छ) "प्रधानाचार्य" का तात्पर्य किसी सम्बद्ध संस्था के प्रधान से है;

(ज) "व्यक्तिगत अभ्यर्थी" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो किसी संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अपेक्षित उपस्थिति संख्या के बिना प्रवेश चाहता हो;

(झ) "अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम" का तात्पर्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित अध्ययन के पाठ्यक्रम से है;

(ञ) "सत्र" का तात्पर्य उस अवधि से है जिसके लिये कोई संस्था शैक्षिक वर्ष के दौरान शिक्षण के लिये खुला हो;

(ट) "सत्रीय अंकों" का तात्पर्य कक्षा या पाठ्यक्रम के लिये किसी परीक्षा से सम्बन्धित सत्रीय कार्य के लिये आवंटित अंकों से है;

(ठ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस विनियमावली से संलग्न अनुसूची है।

अध्याय-दो

3—**प्रवेश और परीक्षायें**–(क) ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं का संचालन जिन्होंने किसी सम्बद्ध संस्था में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या अन्य शैक्षिक उपाधियों के लिये विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो तो उसके प्रदान किये जाने के लिये उसे परिषद् द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ेगा।

(ख) परीक्षा वर्ष में दो बार अर्थात् एक बार अप्रैल/मई के महीने में और दूसरी बार अक्तूबर/नवम्बर के महीने में या ऐसे दिनांकों को, जैसा नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित की जाय, आयोजित की जायेगी।

(एक) वार्षिक आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रम अप्रैल/मई की परीक्षायें व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के साथ-साथ नियमित अभ्यर्थियों के लिये होगी। अक्तूबर/नवम्बर की परीक्षायें केवल अन्तिम वर्ष के बैक पेपर के अभ्यर्थियों के लिये ही होगी।

(दो) अर्द्ध वर्ष (सिमेस्टर) के आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रम मई/जून की परीक्षायें समस्त सेमेस्टरों के व्यक्तिगत छात्रों के साथ-साथ द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टरों के नियमित छात्रों के लिये होगी। अक्तूबर/नवम्बर की परीक्षा पुराने सेमेस्टर के बैक पेपरों के व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के साथ-साथ पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के नियमित छात्रों के लिये होगी।

(ग) परीक्षा ऐसे केन्द्रों पर और ऐसे दिनांकों को और ऐसे समय पर होगी जैसा परिषद् समय-समय पर विनिश्चित करें।

अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिये बैक पेपर परीक्षा के सिवाय मुख्य परीक्षा के सही दिनांक परीक्षा के प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व परिषद् से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं को अधिसूचित किये जायेंगे। परीक्षा समस्त केन्द्रों पर एक साथ होगी।

(घ) वार्षिक योजना के अधीन सम्मिलित होने वाले अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिये बैक पेपर की परीक्षा और सेमेस्टर योजना के अधीन दोनों परीक्षाओं का सही दिनांक और केन्द्र परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व समस्त सम्बन्धित संस्थाओं को अधिसूचित की जायेगी।

4—(1) विभिन्न विषयों की परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(एक) सैद्धान्तिक (थ्यौरी),

(दो) प्रायोगिक (प्रैक्टिकल),

(तीन) आवधिक (टर्म/सत्रीय) कार्य,

(चार) मौखिक,

(पांच) परियोजना, और–

उपर्युक्त में से प्रत्येक पृथक शीर्षकों के अधीन या एक साथ जैसा कि परिषद् द्वारा पाठ्य विषय और परीक्षा योजना में विदित किया जाय सम्मिलित होंगे।

(2) मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त परीक्षक द्वारा किया जायेगा जैसा परीक्षा समिति समय-समय पर विहित करें। लिखित परीक्षा प्रश्न-पत्रों के माध्यम से होगी और प्रश्न-पत्र उस प्रत्येक केन्द्र पर, जहां परीक्षा का आयोजन किया जा रहा हो, एक साथ दिये जायेंगे।

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्रता

5—(1) परिषद् द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये किसी सम्बद्ध संस्था द्वारा भेजा गया प्रत्येक अभ्यर्थी प्रति वर्ष विहित दिनांक तक–

(क) ऐसी परीक्षा के लिये विहित फीस का भुगतान करेगा, और

(ख) वह उस विषय या उन विषयों का जिसे/जिन्हें वह परीक्षा के लिये वर्तमान योजना के अनुसार, जिसके अधीन वह नियमों के अनुसार पात्र है, उल्लेख करेगा/करेगी।

(2) किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा के लिये तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक कि संस्था का प्रधान परिषद् के सचिव को प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर दें :–

(क) कि संस्था में उसका प्रवेश परिषद् के नियमों और विनियमों के अनुसार है;

(ख) कि उसने किसी सम्बद्ध संस्था में पूरी अवधि तक नियमित रूप से पाठ्यक्रम को पूरा किया है;

(ग) कि उसने वास्तव में प्रयोग (एक्सपेरीमेन्ट्स) किये हैं और अपने जर्नल परियोजना/डिजाइन कार्य आदि को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है;

(घ) कि उसने कक्षा कार्य और नियतकालिक परीक्षाओं अर्थात् सत्रीय परीक्षाओं के लिये, आवंटित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किये हैं जैसा कि विनियम 23 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन अपेक्षित है;

(ङ) कि वह कक्षाओं में उपस्थित रहा है जैसा कि विनियम 6 के अधीन अपेक्षित है;

(च) कि उसने अपनी सभी सम्पूर्ण शिक्षण फीस, देयों और साधित्र, उपस्कर की टूट-फूट, पुस्तकालय की पुस्तकों की क्षति के सम्बन्ध में अन्य बकाया देयों या किसी अन्य प्रकीर्ण फीस या देयों का भुगतान कर दिया है;

(छ) कि उसने अपने अध्ययन में संतोषजनक प्रगति दिखाई है और वह अच्छे आचरण और चरित्र का है;

(ज) कि वह भारत में किसी सरकार या नियत प्राधिकारी या कानून परीक्षा लेने वाले प्राधिकारी या परिषद् द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने से किसी अवधि के लिये विवर्जित नहीं किया गया है।

(3) उप विनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र, परीक्षा के लिये भेजे गये अभ्यर्थियों का आवेदन-पत्र अग्रसारित करते समय और उप विनियम (2) के खण्ड (ख) से (ज) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र विनियम-6 के अधीन यथा निहित उपस्थिति की गणना के पश्चात् उस शैक्षणिक वर्ष में प्रायोगिक परीक्षा, या सैद्धान्तिक परीक्षा, जो भी पहले हो, के प्रारम्भ होने के विलम्बतम दस दिन पूर्व प्रस्तुत किये जायेंगे :

परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में उन सम्बद्ध संस्थाओं के संबंध में जो 1200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है, जहां शीतकालीन छुट्टियां मनाई जा सकती हों, उप विनियम (2) के खण्ड (ख) से (ज) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र, उपस्थिति गिनने के तुरन्त पश्चात् लिखित या प्रायोगिक परीक्षा, जो भी पहले आयोजित की जाय, के प्रारम्भ होने के तीन दिन पूर्व तक भेजा जायगा।

(4) ऐसे मामलों को जहां छात्रों के प्रयोगशाला के प्रैक्टिकल में आवधिक कार्य (टर्म वर्क), सत्रीय कार्य, अपूर्ण हो और प्रधानाचार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र दें और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनुमति दें, प्राविधिक शिक्षा निदेशक और/या सरकार को उस संस्था के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही के लिये सूचित किया जायेगा।

(5) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे उप विनियम (2) के खण्ड (ख) से (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने के कारण किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति न दी गई हो, उस परीक्षा में उपस्थित होने की तब-तक अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह समस्त शर्तों को फिर से पूरा न कर लें।

(6) परिषद् द्वारा आवेदन-पत्र और फीस स्वीकार कर लेने और अनुक्रमांक (रोल नम्बर) का आवंटन कर देने पर भी परीक्षा में आवेदक के कार्य (परफारमेंस)/परिणाम को रद्द कर दिया

जायेगा, यदि बाद में यह पाया जाय कि आवेदक उक्त वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश के लिए और उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं या अग्रतर, प्रधानाचार्य आवेदक के प्रमाणीकरण के लिये निदेशक/सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

(7) आवेदन-पत्र को अग्रसारित कर देने, परीक्षा फीस का भुगतान कर देने और परिषद् द्वारा परीक्षा के लिये अनुक्रमांक (रोल नम्बर) का आवंटन कर देने पर भी प्रचार्य उन अभ्यर्थियों का आवेदन-पत्र वापस लेने के लिए सक्षम होगा जो सुसंगत विनियमों की किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहते हैं।

6—**उपस्थिति**-(1) कोई सम्बद्ध संस्था विनियम 18 के अधीन परीक्षा और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों सहित विहित अवधि के लिये प्रत्येक सत्र के दौरान खुली रहेंगी।

(2) किसी अभ्यर्थी को अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए तब तक नहीं भेजा जाय जब तक कि उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत न रही हो:

परन्तु प्रधानाचार्य, यह समाधान होने पर कि अभ्यर्थी बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा या वह पूर्णरूप से अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सका, उपस्थिति की कमी को पांच प्रतिशत तक माफ कर सकता है।

(3) उप विनियम (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/पी०जी०डिप्लोमा के किसी वर्ष/सेमेस्टर के किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा के लिये तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक कि अध्ययन के सुसंगत वर्ष में उसकी उपस्थिति, प्रत्येक विषय में जिसके अन्तर्गत ट्यूटोरियल्स प्रयोगशाला कार्य, ड्राइंग आफिस, कर्मशाला (वर्कशाप), क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) या स्टूडियो भी है, कम से कम 75 प्रतिशत न रही हो, परन्तु यह कि–

(एक) प्रधानाचार्य, यह समाधान हो जाने पर कि अभ्यर्थी बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा था वह पूर्णरूप से अपने नियंत्रण से बाहर कारणों से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सका, प्रत्येक विषय में उपस्थिति में कमी को पांच प्रतिशत तक माफ कर सकता है;

(दो) प्रत्येक मामले में उपस्थिति के प्रतिशत की संगणना उपस्थिति की समस्त अवधि की संख्या को उप विनियम (4) के अधीन वास्तव में उपस्थित होने वाली अवधि की संख्या द्वारा विभाजित करके और इस प्रकार प्राप्त भिन्न को 100 से गुणा करके, की जायेगी;

(4) ऐसी किसी संस्था में, जिस पर यह विनियमावली होती है इसके पश्चात् यथा उपबंधित रीति से उपस्थिति थी, गणना सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से जैसा विनियम 18 में विनिर्दिष्ट है, शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक और 1200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय संस्थाओं/क्षेत्र के सम्बद्ध की दशा में, जहां शीतकालीन अवकाश मनाया जा सकता है, लिखित परीक्षा के प्रारम्भ के तीन दिन पूर्व के दिनांक तक की जायगी, परन्तु किसी सम्बद्ध संस्था, जिससे अभ्यर्थी बाद में संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से प्राविधिक शिक्षा निदेशक के प्राधिकार के अधीन किसी दूसरी संस्था में स्थानान्तरित हो गया हो, में किसी कक्षा विशेष में किसी अभ्यर्थी की उपस्थिति की गणना उस संस्था में, जिसमें वह बाद में अध्ययन करता हो, उस कक्षा विशेष में उपस्थिति की गणना के प्रयोजनार्थ की जायगी:

परन्तु द्वितीयतः ऐसे अभ्यर्थी की जो किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम से भिन्न) के प्रथम या द्वितीय या तृतीय या अंतिम वर्ष की कक्षा प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ या पंचम या षष्ठ सेमेस्टर में या तो नये अभ्यर्थी के रूप में या विनियम-22 के अधीन प्रथम या द्वितीय या तृतीय या अन्तिम वर्ष की कक्षा/प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ या पंचम या षष्ठ सेमेस्टर में पुनरावर्तक (रिपीटर) के रूप में प्रवेश चाहता है कि उपस्थिति की गणना भी सत्र/सेमेस्टर के प्रारम्भ के दिनांक से की जायगी:

परन्तु तृतीयतः ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में, जिनके रोके गये परिणाम बाद में मुक्त कर दिये जायं, उपस्थिति की गणना कक्षा में आने की दिनांक से या उनके रोके गये परिणाम के मुक्त होने के दिनांक से पन्द्रहवें दिन इनमें जो भी पहले हो, से की जायगी।

(5) किसी अभ्यर्थी की उपस्थिति की गणना केवल उस अवधि के लिये की जायेगी जिसमें वह उपस्थित रहा हो/रही हो, परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी सत्र में जिसके दौरान उसे प्रधानाचार्य के आदेश पर अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए पाठ्येत्तर क्रियाकलाप में भाग लेने के लिये भेजा जाय, सात दिन से अनधिक अवधि के लिये उपस्थिति की अनुमति दी जायेगी:

परन्तु यदि अवधि सात दिन से अधिक हो तो प्रधानाचार्य द्वारा निदेशक से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी:

परन्तु यह और कि उस अवधि के लिये जिसके दौरान संस्था द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों के लिये कोई शैक्षिक भ्रमण (टूर) आयोजित किया जाय, कोई उपस्थिति अंकित नहीं की जायेगी

(6) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड विशेष परिस्थितियों में विहित उपस्थिति में कमी को उप विनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अनुसार संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दी गयी पांच प्रतिशत माफी के अतिरिक्त दस प्रतिशत तक माफी दे सकता है:

परन्तु किन्हीं असामान्य परिस्थितियों में ऐसी माफी किसी विशेष संस्था/संस्थाओं को दी जायेगी और निदेशक पहल करेगा और प्राचार्य द्वारा दी गयी माफी के अतिरिक्त विहित उपस्थिति में कमी को माफ करने के लिये बोर्ड को निर्देश करेगा।

एन०सी०सी०/शारीरिक प्रशिक्षण/ खेल-कूद/माडल मेकिंग/ अनुशासन

7—(एक) किसी सम्बद्ध संस्था में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र से चार पाठ्येत्तर क्रिया-कलाप अर्थात् एन०सी०सी०/शारीरिक प्रशिक्षण/खेल-कूद/माडल मेकिंग में से किसी एक का विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी। पाठ्येत्तर

क्रिया-कलापों और अनुशासन के लिये पृथक-पृथक अंक आवंटित किये जायेंगे :

परन्तु इस प्रकार दिये गये विकल्प के पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों और अनुशासन में अंकों के आवंटन में मार्गदर्शक सिद्धान्त 2:3 के अनुपात में होना चाहिये :

परन्तु यह और कि परिषद् द्वारा समय-समय पर किये जा सकने वाले अग्रता परिवर्तन के अधीन यह होगा :

परन्तु यह भी कि एन०सी०सी०/शारीरिक प्रशिक्षण/खेल-कूद/नमूना तैयार करने (माडल मेकिंग) के लिए समय न मिल सकने के कारण उन्हें अंशकालिक पाठ्यक्रमों के मामले में अनुशासन के लिये 100 प्रतिशत अंक आवंटित किये जायेंगे।

(दो) संस्था का प्रधान छात्रों को इस प्रकार विकल्प दिये गये पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों में उनके वास्तविक कार्य संपादन (परफार्मेन्स) के अनुसार अंक देगा।

(तीन) प्रधानाचार्य द्वारा अनुशासन के लिए विभागाध्यक्ष और उस शाखा के संकाय के सदस्यों से परामर्श करके प्रायोगिक और सैद्धान्तिक (थ्यौरी) परीक्षा के समाप्त होने पर अंक दिये जायेंगे, परन्तु अंकों के दिये जाने में उत्पन्न किसी विवाद के मामले में प्रधानाचार्य उस शाखा के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, संकाय के कम से कम तीन सदस्यों की एक समिति बनायेगा और उस समिति की, जिससे अभ्यर्थी संबंधित हो, संस्तुति के अनुसार अंक देगा।

(चार) जहां किसी नियमित छात्र के लिए अनुशासन के अंकों में पर्याप्त कटौती की गई हो, वहां ऐसी कटौती के कारण अभिलिखित किये जायेंगे और उसे अंतिम डिप्लोमा परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् छः मास तक परिरक्षित किया जायेगा।

(पांच) व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों/सेमेस्टर/सेमेस्टरों में नियमित छात्र होने के नाते पहले से अनुशासन के लिये दिये गये अंकों का पुनरावलोकन किया जा सकता है जो आगामी परीक्षा में और उस सुसंगत शैक्षणिक सत्र में जिसका वह परीक्षार्थी हो, उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा :

परन्तु पहले से दिये गये अनुशासन के अंकों में कमी किये जाने के मामले में विभागाध्यक्ष/सहायक केन्द्र अधीक्षक/निरीक्षकों/अध्यापकों के परामर्श से प्रधानाचार्य/केन्द्र अधीक्षक अंकों का पुनरावलोकन करेगा और उसके कारणों की सूचना, जो अभिलिखित किये जायेंगे, बोर्ड को देगा।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन

8—(1) फार्मेसी पाठ्यक्रम से भिन्न अभियंत्रण शाखाओं के पाठ्यक्रम में और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों मे, जहां पाठ्यचर्या और प्रवेश अर्हता की अपेक्षा के कारण पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती, परिवर्तन की अनुमति उन छात्रों को जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् के माध्यम से किसी भी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष में पहले से ही प्रविष्ट हो, कठोरतापूर्वक आगामी अर्हकारी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दी जा सकती है।

(2) संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भिन्न शाखाओं में प्रविष्ट छात्रों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति कठोरतापूर्वक उन सामान्य (कामन) शाखाओं के लिये आयोजित अर्हकारी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर प्राविधिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से दी जायेगी।

(3) उपर्युक्त उप विनियम (1) और (2) से भिन्न शाखाओं में अर्थात् योग्यता के माध्यम से, जिसकी गणना परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित रीति से और अन्तिम अर्हकारी परीक्षा के आधार पर की जायगी, प्रविष्ट छात्रों को पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिये उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये चयन का अवसर प्रदान किया जायगा जिसमें प्रवेश कठोरतापूर्वक योग्यता की गणना के इसी आधार पर प्रदान किया जाता है।

(4) उपर्युक्त उप विनियम (1), (2) और (3) के अधीन प्रविष्ट छात्रों को और ऐसे अभ्यर्थियों को भी, जिनके अध्ययन का पाठ्यक्रम और प्रवेश अर्हता सामान्य नहीं है, पाठ्यक्रम के एक दूसरे से परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(5) प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रविष्ट किसी अभ्यर्थी को, उसके द्वारा परिषद् की परीक्षा में प्रवेश के लिये प्रपत्र भर दिये जाने और उस प्रपत्र के परिषद् कार्यालय में प्राप्त हो जाने के पश्चात् पाठ्यक्रम में परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं दी जायगी।

किसी सम्बद्ध संस्था में प्रवेश

9—(1) (क) विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के वार्षिक/सेमेस्टर आधार पर जिसके लिये संयुक्त प्रवेश परिषद्, प्रवेश परीक्षा लेती है, प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश को प्रवेश परीक्षा के संचालन के दिनांक के सत्तरहवें दिन तक पूरा कर लिया जायेगा;

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न वार्षिक/सेमेस्टर आधार पर पाठ्यक्रमों के लिये प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश को प्रति वर्ष 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जायेगा ;

(ग) किसी भी दशा में किसी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश प्रतिवर्ष 31 अगस्त के पश्चात् नहीं किया जायेगा;

(घ) किसी कक्षा में प्रवेश के लिये न्यूनतम पात्रता को विनियम 10 के अनुसार विनियमित किया जायगा ;

(ङ) संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या परिषद् या निदेशक द्वारा विहित किसी अन्य ढंग से किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश ले लेने के पश्चात् उसे पुनः उसी ढंग से प्रवेश लेना पड़ेगा यदि वह उस सत्र/सेमेस्टर में अपना अध्ययन जारी नहीं रखता और उस सत्र/सेमेस्टर में प्रवेश के दिनांक से निरन्तर दो महीने से अधिक समय तक संस्था से गायब रहता है।

(2) विनियम 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रवेश सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों द्वारा किया जायगा/किये जायेंगे किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को जो इस विनियमावली के अधीन विहित अर्हतायें नहीं रखता है, परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित होने की

अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, भले ही उसे संस्था में प्रविष्ट कर लिया गया हो।

(3) अनुसूचित जाति और अन्य अभ्यर्थियों के लिये सीटें समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षित की जायेंगी। यदि सरकार द्वारा यथा आरक्षित श्रेणियों में उनके सम्बन्धित कोटा से अपेक्षित संख्या में छात्र उपलब्ध न हों तो इस प्रकार रिक्त होने वाली आरक्षित सीटों को अनारक्षित माना जायेगा और उन्हें परिषद् की अनुज्ञा से योग्यता के आधार (अर्ह अभ्यर्थियों की सूची से) पर भरा जायेगा।

(4) अंशकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निम्नलिखित शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा–

(एक) अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश उन संस्थाओं में किया जायगा, जहां सम्बन्धित शाखा में नियमित पाठ्यक्रम को चलाने के लिये सुविधायें विद्यमान हैं। कोई संस्था परिषद् की अनुज्ञा के बिना और निदेशक के माध्यम से प्राप्त संस्तुतियों पर ही कोई अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं करेगा;

(दो) अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल निम्नलिखित कन्सर्न के नियमित सेवाकालीन वास्तविक कर्मचारियों तक प्रतिबन्धित होगा :–

(क) कारखाना अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उद्योग;

(ख) प्राविधिक संस्था;

(ग) राज्य सरकार/निगम/उपक्रम;

(घ) केन्द्रीय सरकार/निगम/उपक्रम;

(ङ) स्थानीय निकाय;

(च) सरकारी विभाग:

परन्तु अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाला कर्मचारी उपर्युक्त कन्सर्न में से किसी एक में प्राविधिक क्षेत्र में लगा हो।

(तीन) **अनुभव**–अग्रतर, अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाला कर्मचारी प्रवेश के समय गत दो वर्षों से उपर्युक्त उप पैरा (दो) में यथा निर्दिष्ट सेवा में आवश्यक रूप से लगा हो। उपर्युक्त सेवा में दो वर्ष के अनुभव की गणना प्रवेश के कैलेण्डर वर्ष के 30 जून को की जायेगी:

परन्तु पात्रता के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त अनुभव की ही गणना की जायेगी।

न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि की गणना अनुभव के लिये की जायेगी।

(चार) उपर्युक्त खण्ड (दो) और (तीन) में निर्धारित शर्तों के समर्थन में प्रमाण-पत्र तभी स्वीकार्य होगा यदि वह सेवायोजक द्वारा जारी किया जाय।

5—(क) वार्षिक आधार पर कक्षोन्नति द्वारा किसी पाठ्यक्रम के द्वितीय या तृतीय/अन्तिम वर्ष की कक्षाओं में सीधे प्रवेश की अनुज्ञा सिवाय इसके नहीं दी जायेगी कि अभ्यर्थी ने किसी भी संबद्ध संस्था में अध्ययन किया है और परिषद् द्वारा संचालित यथास्थिति, प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, बशर्ते वह विनियम 25 के अधीन प्रवेश का पात्र हो और उसे विनियम 17 के अधीन अन्तरण के लिये अनुज्ञा दी जाय:

परन्तु द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अन्तिम वर्ष की अगली उच्चतर कक्षा में प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने पर या प्रति वर्ष जुलाई के तीसरे सोमवार को, इनमें जो भी पहले हो, पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना अनन्तिम रूप से दिया जायगा फिर भी सम्बन्धित पूर्ववर्ती कक्षा की परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् ही प्रवेश का अनुसमर्थन किया जायेगा:

परन्तु यह और कि कोई अभ्यर्थी अनन्तिम प्रवेश के लिये दावा नहीं कर सकेगा यदि वह अनुत्तीर्ण होता है और अगली उच्चतर कक्षा में कक्षोन्नति के लिये सुसंगत विनियम का समाधान नहीं करता।

(ख) सेमेस्टर आधार वाले किसी पाठ्यक्रम के द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठ या तृतीय/पंचम सेमेस्टर में कक्षोन्नति द्वारा सीधे प्रवेश परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना पूर्ववर्ती परीक्षा की समाप्ति के दसवें दिन या उसके पश्चात् किन्तु पन्द्रहवें दिन के पश्चात् नहीं अन्तिम रूप से किया जायेगा। प्रवेश का अनुसमर्थन सम्बन्धित पूर्ववर्ती कक्षा की परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् ही किया जायगा:

परन्तु कोई अभ्यर्थी अनन्तिम प्रवेश का दावा नहीं करेगा यदि वह अनुत्तीर्ण होता है और अगले उच्चतर सेमेस्टर में कक्षोन्नति के लिये सुसंगत विनियम का समाधान नहीं करता।

(ग) उपर्युक्त खंड (क) और (ख) के अनुसार, संचालित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् अगली उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर में कक्षोन्नति और प्रविष्ट समस्त कक्षाओं/सेमेस्टरों के छात्रों की अगली उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर के लिये उपस्थिति की गणना पूर्ववर्ती कक्षा/सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा को ध्यान में रखते हुये, उनके सत्र/सेमेस्टर, जिसके कार्यक्रम को परिषद् ने अनुमोदित कर दिया हो, के प्रारम्भ के दिनांक से की जायगी।

(6) उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर में कक्षोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर की जायेगी–

(क) तीन वर्ष या अधिक की अवधि के लिये वार्षिक आधार पर चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये किसी अभ्यर्थी को यथास्थिति, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ वर्ष की कक्षा में प्रवेश (ज्वाइन) तभी दिया जायेगा जब वह क्रमशः प्रथम वर्ष और द्वितीय/तृतीय वर्ष में विहित समस्त विषयों को उत्तीर्ण कर ले या उसे विनियम 16 के अनुसार सत्र (टर्म) रखने की अनुमति दी जाय।

(ख) सेमेस्टर आधार पर चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये: किसी अभ्यर्थी को पांचवे या छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह क्रमशः प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में विहित समस्त विषयों को उत्तीर्ण कर लें।

न्यूनतम अर्हता

10—विभिन्न प्राद्यौगिक अभियंत्रण शाखाओं या अन्य पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा या पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा विहित न्यूनतम अर्हता, निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अधीन होते हुये रखनी होगी। इस समय परिषद् द्वारा प्रवेश के लिये विहित न्यूनतम अर्हता अनुसूची चार में दी गयी है।

स्पष्टीकरण–(एक) (क) किसी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये अनुज्ञात अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य बनाने के प्रयोजनार्थ इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनाये गये और समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अधीन समतुल्य घोषित परीक्षा लेने वाले किसी निकाय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के प्रयोजन के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की हाई स्कूल परीक्षा के समतुल्य समझा जायेगा।

माध्यमिक परिषदों के इण्टरमीडिएट प्रक्रमों पर किसी अन्य परीक्षा को भले ही उक्त अधिनियम के अधीन माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, द्वारा मान्यता प्राप्त हो, डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्राविधिक शिक्षा परिषद् को निर्देश करने की आवश्यकता होगी।

(ख) किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी परिषद् से 10+2 परीक्षा की दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिये जाने और 10+2 योजना की हाई स्कूल या दसवीं कक्षा को समय-समय पर यथा संशोधित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन समकक्ष मान्यता प्रदान किये जाने पर उसे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजन के लिये समकक्ष समझा जायगा।

(दो) विज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान सम्मिलित हैं।

(तीन) हाई स्कूल के पश्चात् विज्ञान और अंकगणित के साथ उत्तीर्ण पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा को यदि वह एक सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक इक्जामिनेशन) है, हाई स्कूल के बराबर माना जायेगा।

(चार) किसी तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र और गणित के साथ बी०एस-सी० भाग-एक परीक्षा को यदि वह एक सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक इक्जामिनेशन) है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य माना जायेगा।

(पांच) कृपांक, जो किसी अभ्यर्थी को परीक्षा लेने वाले किसी विशेष निकाय के नियमों के अधीन उत्तीर्ण होने के लिये उसे पात्र बनाने के लिये विषय (विषयों) या सम्पूर्ण योग में दिये जाय, सम्पूर्ण योग में या प्रवेश के लिये सम्पूर्ण अंकों के प्रतिशत की गणना करने में जोड़े नहीं जायेंगे।

(छः) भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ माध्यमिक परीक्षा के पश्चात् पूर्व-अभियन्त्रण परीक्षा को, यदि वह सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक इक्जामिनेशन) हो, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ इण्टरमीडिएट के बराबर समझा जायगा।

(सात) ऐसा अभ्यर्थी भी, जिसने अर्हकारी परीक्षा में विज्ञान या गणित या दोनों नहीं लिया है किन्तु यथाविहित अपेक्षित विषयों को लेकर उसी उच्चतर परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, प्रवेश के लिये पात्र होगा।

(आठ) ऐसे अभ्यर्थी के सम्बन्ध में जिसने पूरक (कम्पार्टमेन्टल) अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी या उच्चतर परीक्षा उन्हीं विषयों को लेकर, जैसा विहित है, उत्तीर्ण की है, अंकों के प्रतिशत की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

अनुपूरक परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में उस विषय में, जिसमें उसे अनुपूरक परीक्षा के लिये पात्र घोषित किया गया था, प्राप्त अंकों को निकालने के पश्चात् जोड़ दिया जायगा। इस प्रकार प्राप्त योग पर प्रतिशत निकालने के लिये विचार किया जायगा।

(नौ) परिषद् के अधीन किन्हीं पाठ्यक्रमों के लिये अपेक्षित न्यूनतम पात्र शैक्षिक अर्हता का सबूत सम्बन्धित सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य को किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश चाहने के लिये संस्था द्वारा विहित अन्तिम दिनांक (दिनांकों) के पश्चात् नहीं और किसी भी दशा में प्रति वर्ष के 31 अगस्त के पश्चात् नहीं प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रवेश के लिए आयु सीमा

11—**न्यूनतम अर्हता** (1) माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण-पत्र और अंशकालिक पाठ्यक्रम से भिन्न समस्त डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिये अभ्यर्थी की आयु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के मामले के सिवाय जिनके मामले में उच्चतर आयु सीमा तीन वर्ष से शिथिलनीय होगी, प्रवेश के कैलेण्डर वर्ष के 30 जून को इसे सम्मिलित करके 14 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो उद्योग द्वारा प्रायोजित हों और नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हों उच्चतर आयु सीमा बिना किसी सीमा के परीक्षा समिति द्वारा अग्रतर शिथिलनीय होगी। ऐसे मामलों को अभ्यर्थी से प्राप्त समर्थनकारी साक्ष्य के साथ अपनी संस्तुति सहित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित किया जायगा।

(2) बालिका अभ्यर्थियों के लिये कोई उच्चतर आयु सीमा नहीं होगी;

परन्तु अंशकालिक : डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये या विभिन्न शाखाओं में नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी के लिये कोई उच्चतर आयु सीमा नहीं होगी।

(3) अंशकालिक पाठ्यक्रमों मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु प्रवेश के कलेन्डर वर्ष को 30 जून को उसे सम्मिलित करते हुए 21 वर्ष से कम नहीं होगी।